न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 14 / 2012

नरेश कंवर पत्नी भँवर सिंह पुत्री दौलत सिंह जाति राजपूत निवासी डी–49 शान्ति पथ तिलक नगर जयपुर।

.....वादीया

बनाम

1. चन्द्र कला पत्नी पारस चन्द जैन जाति अग्रवाल जैन निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक।
2. श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व.हीरालाल जाति अग्रवाल निवासी कस्बा निवाई जिला टोंक।
3. श्रीमती सबीता पत्नी गोकुल बंसल जाति महाजन निवासी आई–7 डी सिंधी कॉलोनी बनीपार्क जयपुर।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जे.डी.ए परिसर जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. टेनेन्सी एक्ट

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि तहसील सांगानेर के ग्राम प्रहलादपुरा के खाता नं.112 के आराजी खसरा नं. 2 रकबा 2.52 है0 खसरा नं. 3 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 4 रकबा 0.005 है0, खसरा नं. 5 रकबा 1.42 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.14 है0 स्थित है जो जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारो के नाम दर्ज है। उक्त खाते अभी संयुक्त रूप दर्ज चले आ रहे है किन्तु मौके पर पक्षकारो ने बाहमी तकासमा कर रखा है जिस अनुसार सब पक्षकार मौके पर काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीया भी अपने दर्ज हिस्से पर कुआ बनवाना चाहती है पुख्ता बाउन्ड्री करवाना चाहती है। किन्तु विधिवत तकासमा के अभाव में वादीया अपने कार्य को अन्जाम नही दे पा रही है। वादीया ने सभी पक्षकारो को विधिवत तकासमा हेतु कहा भी किन्तु प्रतिवादीगण सहमत नही हुआ तथा गत दिनांक 25.01.2012 को तकासमा करवाने से साफ इन्कार कर दिया प्रतिवादीगण की इनकारी के पश्चात वादीया के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय से अपने हिस्से का विधिवत तकासमा करवाले तथा कब्जे अनुसार अलग खाता व लगान कायम करवाले। वाद हैतुक दिनांक 25.01.2012 को जब प्रतिवादीगण ने तकासमे

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

से इन्कार किया तब पैदा होकर निरन्तर जारी है। दावा बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण तकासमा का डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नम्बर 1 में से वादीया के हिस्से का उपरोक्त बाहमी तकासमे अनुसार विधिवत तकासमा किया जाकर वादीया का अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावें।
प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ असल जमाबंदी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित तथ्यों में उक्त खाते अभी संयुक्त रूप से दर्ज चले आ रहे है। मौके पर पक्षकारों द्वारा बाहमी बंटवारा कर रखा है। यह तथ्य स्वीकार है तथा मौके पर पक्षकारन किस प्रकार से काबिज है इस का उल्लेख वादी के द्वारा नही किया गया है। वादिनी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिये था कि उसका कब्जा किस स्थान पर है यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि विवादित भूमि पर पक्षकारन ने अपने अपने हिस्से की कब्जाशुदा भूमि पर पुख्ता डण्डों का निर्माण कर अपने अपने हिस्से पर काबिज है प्रतिवादीगण नम्बर 1 ने अपने 5/27 भाग पर और प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपने 10/27 भाग पर संयुक्त रूप से पुख्ता डण्डा विवादित भूमि के खसरा नम्बर 5 की संपूर्ण भूमि 1.42 है0 पर खसरा नम्बर 4 की संपूर्ण भूमि 0.05 है0 पर तथा खसरा नम्बर 3 के पूर्वी भाग की करीब 0.02 है0 भूमि के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर आर्थत तीन तरफ डण्डा बना रखा है। वाद पत्र के मद नम्बर 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकर नही है वादीया अपने हिस्से का विधिवत तकासमा करवाना चाहती है। वादीया ने प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को कभी भी विवादित भूमि का कब्जे के अनुसार तकासमा कराने के लिये नही कहा। वादीया ने जब कभी मिन प्रतिवादीगण को तकासमा करने के लिये नही कहा तो दिनांक 25.01.2012 को तकासमा कराने से मना करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। मिन प्रतिवादी नंबर 1 व 2 भी अपने हिस्से का विधिवत कब्जे अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर अलग खाता व लगान करवाने के लिए तैयार है। मिन प्रतिादीगण को उनके कब्जे अनुसार तकासमा किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतिरिक्त कथन एवं काउन्टर क्लेम में अंकित है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2 रकबा 2.52 हैक्टेयर खसरा नंबर 3 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा नंबर 4 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नंबर 5 रकबा 1.42 हैक्टेयर कुल किता चार कुल रकबा 4.14 हैक्टेयर भूमि ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 का 5/27 हिस्सा तथा प्रतिवादी नंबर 2 का 10/27 हिस्सा रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अन्य खातेदारान का भी उनके

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

हिस्से के अनुसार रेवेन्यू रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज है। सभी खातेदारान ने आपसी सहमति से बाहमी बंटवारे से विवादित भूमि का हिस्से अनुसार बंटवारा कर रखा है। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने 5/27 भाग पर तथा प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने 10/27 भाग पर संयुक्त रूप से बाहमी बंटवारे में आयी भूमि के खसरा नंबर 5 की संपूर्ण भूमि 1.42 हैक्टेयर भूमि पर, खसरा नंबर 2 के पूर्वी भाग के 0.80 हैक्टेयर भूमि पर, खसरा नंबर 4 की संपूर्ण भूमि 0.05 हैक्टेयर भूमि पर तथा खसरा नंबर 3 के पूर्वी भाग की 0.02 हैक्टेयर भूमि के दक्षिण साइड को छोडकर पूर्व पश्चिम उत्तर की ओर पुख्ता डण्डा 6–6 फुट ऊंचा सन्–2004 से बना रखा है तथा दक्षिण दिशा की ओर से मिन प्रतिवादीगण अपनी उकत कब्जा शुदा भूमि पर आते है और उसका उपयोग–उपभोग निर्बाध रूप से करते आ रहे है। खसरा नंबर 2 की पश्चिम साइड की शेष बची भूमि 1.72 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नंबर 3 की शेष बची 0.12 हैक्टेयर भूमि पर जो मिन प्रतिवादीगण के बाहमी बंटवारे में आयी भूमि के पश्चिम में है पर वादीनी तथा प्रतिवादी नंबर 3 और 4 बाहमी बंटवारे में हिस्से में आयी भूमि पर अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। मिन प्रतिवादीगण को उनके कब्जे के अनुसार उनके हिस्से में आई भूमि पर उनका पुख्ता डण्डा बना हुआ है, उसके अनुसार भूमि का तकासमा किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि के बाहमी बंटवारे के अनुसार आयी भूमि का तकासमा किया जाकर अलग से खाता एवं पर्चा लगान कायम किये जाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी ने वाद में साक्ष्य पेश न कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड एवम् बाहमी बंटवारा कब्जा काश्त विधिवत रूप से सरस–नरस के आधार पर तकासमा किया जाकर, पृथक से खाता व पर्चा लगान कायम किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया गया।

तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/डिक्री/2019/4117 दिनांक 18.10.2019 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है :–

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	लगान
1	चन्द्रकला पत्नि पारस चंद जैन हि0 5/27 सीता देवी पत्नि स्व0 हीरालाल हि0 10/27 जाति अग्रवाल जैन निवासी निवाई जिला टोंक नरेश कंवर ध.प. भंवर सिंह नि. डी–49 शान्ति पथ तिलक नगर जयपुर हि0 4/45 सविता पत्नि गोकुल बसंल जाति–महाजन नि. आई–7 डी सिंधी कॉलोनी बनीपार्क हि0 2/36 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हि0 27/90	2 3 4 5	2.52 0.15 0.05 1.42	
	योग	4	4.14	20.58

प्रस्तावित कुर्रेजात प्रविष्टि :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	लगान
1	नरेश कंवर पत्नि भंवर सिंह नि. डी–49 शान्ति पथ तिलक नगर जयपुर	2 मिन 3 मिन	0.34 0.03	
	योग	2	0.37	
2	चन्द्रकला पत्नि पारसचंद जैन हि0 77/377 सीता देवी धर्म पत्नि हीरालाल हि0 153/377 जाति अग्रवाल जैन नि. निवाई जिला टोंक सविता पत्नि गोकुल बसंल जाति–महाजन नि. आई–7 डी सिंधी कॉलोनी बनीपार्क हि0 23/377 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हि0 124/377	2 3 4 5	2.18 0.12 0.05 1.42	
	योग	4	3.77	

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर बगौर मनन किया प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा ट्रेस के आधार पर वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आश्य का पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 08.11.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.12.13 12:42:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: